

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

गुलाबचन्द बनाम बाबूलाल बगै0

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.न. 12/25

तारीख हुकम		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की लागू में जारी हुए
------------	--	--

13.02.2025

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरिये प्रार्थी अधिवक्ता श्री निहालसिंह गुर्जर द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फेसी केंस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा घूमना तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा नम्बर 1916, 1950, 1952 में आगामी आदेश तक उक्त भूमि के मौके की यथार्थिति बनाएं रखें एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 07.04.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

7/4/25

पत्रावली पेश हुई, वकीली द्वारा काय स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, बीरे पर होने पे जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 15/4/25 को पेश हो

15/4/25

पत्रावली पेश हुई, वकीली द्वारा काय स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, बीरे पर होने पे जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 28/5/25 को पेश हो

23/4/25

वकील कादिवला द्वारा पेश शपथ पत्र पत्रावली बलब की गरी वकील कादिवला निहालसिंह गुर्जर द्वारा निवेदन किया कि उक्त पत्रावली को तहसील में लाया जाये और शपथ पत्र खारिज किया जाना पत्रावली के तहत हुकाए देकर नजर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा